न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या :— 12/2023

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

1. लक्ष्मी पुत्री बागिया उर्फ बागाराम जाति सरगरा निवासी मोगड़ा कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

बनाम

1. सुरेश पुत्र बागिया उर्फ बागाराम,
2. मोहनीदेवी पत्नी बगिया उर्फ बागाराम, जातियान सरगरा, निवासीगण मोगड़ा कला तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर।

— — —

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सरंपच ग्राम पंचायत मोगड़ा कल्ला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 669 दिनांक 05.03.1997 स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति : —

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ईश्वर सिंह।
2. रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 की ओर से भागीरथ विश्नोई उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थित।

दिनांक :— 11-8-2025

— :: निर्णय :: —

अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 669 दिनांक 05.03.1997 की पेश कर कथन किया कि वाके मोगड़ा कला तहसील लूणी में खसरा नम्बर 219/3/1 रकबा 9 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो कि अपीलान्ट के पिता बिगया उर्फ बागाराम के नाम दर्ज थी जिनका देहान्त हो जाने के पश्चात् उक्त मुतनाजा आराजी का फौतेदगी म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 05.03.1997 को स्वीकृत किया गया। उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार बागिया उर्फ बागाराम के वारिसानों की सरपंच ने सही जांच नहीं की तथा म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नहीं दिया जबकि अपीलान्ट बागिया उर्फ बागाराम की जायन्दा पुत्री है इस कारण खातेदार बागिया उर्फ बागाराम का फौतेदगी म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ अपीलान्ट के नाम भी स्वीकृत करना चाहिए था। अतः अपीलान्ट द्वारा एक अपील पेश कर ग्राम मोगड़ा कल्ला के सरपंच ने उक्त भूमि में जो म्यूटेशन संख्या 669 दिनांक 05.03.1997 को स्वीकृत किया गया, उसको निरस्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

किया जाकर मृतक खातेदार बागिया उर्फ बागाराम के उत्तराधिकारियों की सही जांच कर नये सिरे से म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश फरमावे। अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी पेश कर अपील पेश करने हुई देरी को क्षमा कर अपील म्याद अन्दर शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपील में अपना जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 669 दिनांक 05.03.1997 को निरस्त कर मृतक खातेदार बागिया उर्फ बागाराम के उत्तराधिकारियों की सही जांच कर नये सिरे से म्यूटेशन स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस में कथन किया गया कि नामान्तकरण अपील में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 669 दिनांक 05.03.1997 को ग्राम पंचायत मोगड़ा कल्ला ने स्वीकृत किया था जो कि पूर्ण रूप से सही भरा गया था। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पेश किया परन्तु अपील पेश करने हेतु हुई देरी के लिए कोई न्यायोचित तथा स्पष्ट कारणों से अवगत नहीं करवाया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील काफी समय बाद पेश करने एवं अपील अन्दर म्याद नहीं होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त आधार पर अपीलान्ट की नामान्तकरण अपील को अन्दर म्याद नहीं माना जा सकता एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 669 दिनांक 05.03.1997 को निरस्त किया जाना कानुनन उचित नहीं है। अपीलान्ट की अपील न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय आज दिनांक 11-8-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी